



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11052026-272413
CG-DL-E-11052026-272413

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2291]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2026/वैशाख 21, 1948

No. 2291]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 11 2026/VAISAKHA 21, 1948

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2026

का.आ. 2382 (अ).—केंद्रीय सरकार, विकसित भारत—रोजगार और आजीविका के लिए गारन्टी मिशन (ग्रामीण):
वीवी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जब उक्त अधिनियम के उपबंध
भारत के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. जे-11015/2/2025-यू.एस.- आर. ई. -V]

रोहिणी रा भाजीभाकरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT**(Department of Rural Development)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th May, 2026

S.O. 2382 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Viksit Bharat—Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB—G RAM G (विकसित भारत - जी राम जी) Act, 2025 (36 of 2025), the Central Government hereby appoints the 1st day of July, 2026 as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in all States and Union territories of India.

[F.No. J-11015/2/2025-US- RE-V]

ROHINI R BHAJIBHAKARE, Jt. Secy.